

ಕನಕ 35294

ರಾಜಿವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕರ್ನಾಟಕ



RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
KARNATAKA

ಡಾ|| ನವೀನ್ ಶರ್ಮಾ

ರವರು, ಪದವಿಗೆ ಯಥಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು

ಮಾರ್ಚ್ 2006 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವರೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ

ಆಯುರ್ವೇದಾಚಾರ್ಯ (ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಪದವಿಯನ್ನು ಕುಲಾಧಿಪತಿ, ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿ, ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ

ನಾವುಗಳೇ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮ ರಂದು ನಡೆದ ೧೦ ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರ ಮುದ್ರೆಯೊಡನೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

We, the Chancellor, the Pro-Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Senate and the Syndicate confer

AYURVEDACHARYA (BACHELOR OF AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY)
on

Dr. NAVEEN SHARMA

in recognition of fulfillment of the requirements for the said

Degree in the examination held during **MARCH 2006**

Given under the seal of the University, in the

10th convocation held on **29th March 2008**



S. N. Sharma

Vice-Chancellor



Bangalore

Date : 29/03/2008


Reg. No. : 01A8415

College : TMAE SOCIETY'S AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, BANGALORE

2266

आयुर्वेदिक एवम् यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड

पंजीकरण प्रमाणपत्र



शिमला नवीन शर्मा,

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/श्रीमान्/श्रीमती

श्रीमान्/श्रीमती/श्रीमती श्री डॉ. चन्द्र शर्मा, को हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक एवम् यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 के अधीन भाग प्रथम में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में दिनांक 30-6-2009 को पंजीकृत कर लिया गया है।

बी०ए०एम०एस०:मार्च-2006:

योग्यताएं राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कनाटक बंगलौर

जन्म तिथि 19-1-1982 ::

पता गाँव वं डांकं चमनेड़,

तहण व जिला हमीरपुर हि०प्र०

टिप्पणियाँ:—

- (1) यह प्रमाण-पत्र इसके धारक को केवल हिमाचल प्रदेश के अन्दर ही व्यवसाय चलाने का अधिकार देता है।
- (2) यह प्रमाणपत्र वर्ष 2009 के लिए मुद्रित पंजिका के प्रकाशन तक केवल पंजीकरण का साध्य होगा।

(Signature)
पंजीयक।

2-07-2009, 198

आवश्यक सूचना

प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी को इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि यदि उसके पंजीकरण में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसकी सूचना पंजीयक को तुरन्त भेजी जाए और इस सम्बन्ध में पंजीयक द्वारा यदि कोई पृष्ठताछ की जाए तो उसका उत्तर तुरन्त भेजा जाए ताकि उसकी पता पंजिका में दर्ज हो सके अन्यथा हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक एवम् यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 की धारा 14(5) के अधीन व्यवसायी का नाम पंजिका में से हटाया जा सकता है।

Attested